उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग
संख्या-440/2023/आई/324968-001-41-1002-001-82-2023-16-JIYO-2023
लखनऊः दिनांक 31 मई 2023

शुद्धि-पत्र

जनपद फिरोजाबाद में कलेक्ट्रेट परिसर में जिला पर्यटन एवं संस्कृति केन्द्र का उच्चीकरण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-436/2023/आई/320832/001-41-1102-001-82-2023-16-JIYO-2023, दिनांक 24-05-2023 के पृष्ठांकन में एतद्ववारा निम्नवत् संशोधन किया जाता है

क्र०	पृष्ठांकन का विवरण	संशोधित पृष्ठांकन
1	क्र०सं०-05 पर अंकित मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।	मुख्य कोषाधिकारी, आगरा।
2	क्र०सं०-07 पर अंकित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी आगरा फिरोजाबाद /	प्रतिलिपि में अंकित नहीं करना है।
3	क्र० 8 - पर अंकित संयुक्त निदेशक पर्यटन, आगरा / अलीगढ	संयुक्त निदेशक, पर्यटन आहरण वितरण अधिकारी आगरा। /
4	क्र०-9 पर अंकित बिन्दु में श्री दिनेश कुमार उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक 4 –,5 ,6 ,7 ,8 , 11 व 10 र से आदेश की प्रति प्रेषित करने का को अपने स्त करें।कष्ट	उप निदेशक पर्यटन, जिला योजना।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 24 मई 2023 संशोधित समक्षा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, आगरा।
6. जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
7. संयुक्त निदेशक पर्यटन / आहरण वितरण अधिकारी, आगरा।
8. उप निदेशक, पर्यटन,जिला योजना।
9. परियोजना प्रबन्ध, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, आगरा।
10. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।